

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:- 96/2016 वाद पत्र

उनवान

1-चौथमल आत्मज रामा कुम्हार आयु वयस्क निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-सोहनलाल आत्मज रामा कुम्हार आयु वयस्क निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-तिलोकचंद आत्मज रामा कुम्हार आयु वयस्क निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-मु कंकु पुत्री रामा पत्नि गणेश कुम्हार निवासी भुणास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
- 4-कमला पुत्री रामा पत्नि जेठमल कुम्हार आयु वयस्क निवासी तहसील आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-राजस्थान राज्य जरिरे तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित

1-मनीष दाधीच

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 13.07.2017


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र नारायणखेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर की आराजी संख्या 1228 रकबा 0.28 है0, 1387 रकबा 0.31 है0, 1390 रकबा 0.44 है0, 1653 रकबा 0.24 है0, 1664 रकबा 0.01 है0, गै0मु0 आराजी चाह , 1665 रकबा 0.42 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.70 है0 मे वादी का 3/7 हिस्सा तथा आराजी संख्या 1664 रकबा 0.01 हे0 आराजी चाह को सामलाती रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया जाता है। जिसकी पालना में दिनांक 13.07.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः

९


आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 1665 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1653 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1228 /1 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 है चोथमल पिता रामा कुम्हार सा.देह खातेदार आराजी संख्या 1228/2 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1387 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1390 रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 है0 सोहनलाल, तिलोकचन्द पिता रामा 2/7, कंकु कमला पुत्रीया रामा 2/7 कुम्हार सा.देह खातेदार आराजी संख्या 1664 रकबा 0.01 है गैमु आचा सोहनलाल, तिलोकचन्द पिता रामा 2/7 चोथमल पिता रामा 3/7 कंकु कमला पुत्रीया रामा 2/7 कुम्हार सा.देह सामलाती बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 96/2016 वाद पत्र

उनवान

1-चौथमल आत्मज रामा कुम्हार आयु वयस्क निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी


बनाम

- 1-सोहनलाल आत्मज रामा कुम्हार आयु वयस्क निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-तिलोकचंद आत्मज रामा कुम्हार आयु वयस्क निवासी नांदशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-मु कंकु पुत्री रामा पत्नि गणेश कुम्हार निवासी भुणास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
- 4-कमला पुत्री रामा पत्नि जेठमल कुम्हार आयु वयस्क निवासी तहसील आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी आदेश किया जाता है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 1665 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1653 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1228 /1 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 है चौथमल पिता रामा कुम्हार सा.देह खातेदार आराजी संख्या 1228/2-रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1387 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1390 रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 है0 सोहनलाल, तिलोकचन्द पिता रामा 2/7, कंकु कमला पुत्रीया रामा 2/7 कुम्हार सा.देह खातेदार आराजी संख्या 1664 रकबा 0.01 है गैमु आचा सोहनलाल, तिलोकचन्द पिता रामा 2/7 चौथमल पिता रामा 3/7 कंकु कमला पुत्रीया रामा 2/7 कुम्हार सा.देह सामलाती बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा